भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4841
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : जैविक खेती को बढ़ावा

4841. श्री सौमित्र खानः
श्री गोपाल जी ठाकुरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत बिहार के दरभंगा तथा पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत्त और आबंटित राशि का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में पर्यावरण-अनुकूल जैविक उर्वरकों और जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है;
(ग) यदि हां, तो दोनों राज्यों में जागरूकता कार्यक्रमों, राजसहायता और किसान सहायता तंत्र सहित ऐसी पहलों का जिलावार ब्यौरा क्या है; और
(घ) विशेषकर से बिष्णुपुर और दरभंगा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में पर्यावरण-अनुकूल उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने में सामने आ रही चुनौतियों का ब्यौरा क्या है और उनका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): बिहार सरकार ने सूचित किया है कि परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत वर्ष 2023-24 से दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में 457 किसानों को शामिल करते हुए जैविक खेती के तहत 500 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 170.0125 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि बिष्णुपुर लोकसभा क्षेत्र में पीकेवीवाई स्कीम लागू नहीं की गई है।
(ख) और (ग): सरकार बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य सहित पीकेवीवाई की जैविक खेती स्कीम के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल जैविक उर्वरकों और जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। पीकेवीवाई स्कीम जैविक किसानों को क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण में उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन तक संपूर्ण सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम का प्राथमिक फोकस ऐसे क्लस्टर में जैविक क्लस्टर का गठन करना है, जहाँ छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है ताकि उन्हें आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद मिल सके।

किसानों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, प्रशिक्षण, सहायता, प्रचार और विपणन के माध्यम से पीकेवीवाई स्कीम के तहत कई पहल की जाती हैं। पीकेवीवाई स्कीम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जैविक क्लस्टरों में 3 वर्षों में 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों को ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म जैविक इनपुट जैसे जैव उर्वरकों के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन आदि के लिए 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, प्रमाणीकरण और अवशेष विश्लेषण के लिए 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रदान किए जाते हैं। एक किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है।

राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र (एनसीओएनएफ) तथा इसके क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र (आरसीओएनएफ), जो गाजियाबाद, नागपुर, बैंगलोर, इंफाल और भुवनेश्वर में स्थित है, जैव

उर्वरकों के उपयोग सहित जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर विभिन्न मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण और ऑनलाइन जागरूकता अभियान आयोजित कर रहे हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी कृषि विज्ञान केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से किसानों को जैविक खेती के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण, फ्रंटलाइन प्रदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम आदि आयोजित करती है।

जिलेवार डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(घ): प्रारंभ में, पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों के उपयोग से फसलों के उत्पादन में गिरावट होने की धारणा जैसी मुख्य चुनौतियां सामने आ रही थी। सहायता और प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय रूप से उपलब्ध वस्तुओं से पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों के उत्पादन करने पर इनपुट की लागत कम हो जाती है।

****